भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या **113B/2016-17**

1.सवित्री देवी 2.गोर्वधन महतो3.नादिया महतो

<u>बनाम</u>

नन्दो महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15-9-2017		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी सरायकेला के पत्रांक 701 दिनांक
23.08.2017 द्वारा टी० ए० मिस वाद सं0 113 B/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला
प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1.सावित्री देवी पति-स्व0
चौधरी महतो, 2. गोर्वधन महतो पिता स्व0 चौधरी महतो 3. नादिया महतो पिता स्व0 चौधरी
महतो ग्राम- नुवागॉव, थाना- सरायकेला जिला- सरायकेला-खरसावॉ ने पारिवारिक खर्चा
हेतु क्रेता श्री नंदो महतो, पिता - स्व0 विशु महतो, ग्राम- नुवागॉव, थाना-सरायकेला
जिला- सरायकेला-खरसावॉ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी
अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध
में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि
का विवरण निम्न प्रकार हैः-

मौजा	**थाना न0**	**खाता न0**	**खेसरा न0**	**रकवा**
नवागॉव	327	36	785/अंशिक	0.09ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक
किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न
कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पति एवं पिता चौधरी महतो
एवं अन्य के नाम से पंजी II में दर्ज है। रैयत चौधरी महतो के मृत्यु पश्चात् उनकी पत्नी
एवं दो पुत्र ने संयुक्त रूप से आपसी बॅटवारा में प्राप्त हुआ है जो कुल रकवा 2.66ए0 भूमि
है। आवेदक अपने हिस्से की अंशिक जमीन की बिकी हेतु अवेदन किये हैं, जिसमे से 0.
09ए0 भूमि बिकी करने के पश्चात् उनके हिस्से में 2.57 1/2 ए0 एकड़ भूमि बचती है।
साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही मौजा, जिला एवं जाति 'कुर्मी ' अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के
अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अंनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष
के निजी दायित्व पर 0.09 एकड़ भूमि बिकी करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार
अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/09/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,